राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र जयपुर

क्रमांक: प.9(5)(12–II)सासुपे नियम/सान्यअवि/2021–22/ 64 जयपुर, दिनाक 29.07.2022

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के बिन्दु संख्या 238 में ***राजकीय योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य करने की*** घोषणा की गई थी एवं बिन्दु संख्या 24 – अन्तर्गत दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए प्रक्रिया का सरलीकरण व Deemed तथा Auto Approval के प्रावधान की घोषणा की गई थी। सरलीकरण के क्रम में मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र क्रमांक 3209 दिनांक 08.09.2021 में निर्देश प्रदान किए गए कि योजना के पात्रता संबंधी दस्तावेजों के स्थान पर जनआधार डेटाबेस के आधार पर ऑनलाईन प्रमाणीकरण कर योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT) किया जाये। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एव संचार विभाग द्वारा भी पत्रांक 3462/2021 दिनांक 22.9.2021 जारी किया गया है।

इस क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चिन्हित योजनाओं के संबंधित नियमों के अन्तर्गत वर्तमान में आवेदन प्रस्तुत करने, इनका सत्यापन किए जाने एवं पेंशन स्वीकृत करने की ऑनलाइन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाकर दिनांक 2 अक्टूबर, 2021 से पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने वाले आवेदनों को पेंशन पोर्टल द्वारा बिना मानवीय हस्तक्षेप (without human Intervention) स्वतः सत्यापन (Auto Verification) के आधार पर स्वतः स्वीकृत (Auto Approve) किया जा रहा है।

विगत दिनों में विभिन्न स्रोतों यथा समाचार पत्र, ई–मेल, सोशल मीडिया आदि के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि अनेक जिलों में गलत दस्तावेजों के आधार पर या जन आधार डेटाबेस में बिना प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर आयु, बैंक खाते आदि में परिवर्तन कर अपात्र व्यक्तियों द्वारा पेंशन प्राप्त की जा रही हैं। इसमें यह भी पाया गया है कि ईमित्र संचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो एप्लीकेंट को इस गलत कृत्य में सम्मिलित करते हुए या कुछ मामलों में तो बिना उनकी जानकारी के ही उनके जनाधार डेटाबेस में परिवर्तन कर अनुचित तरीके से आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो कि बहुत गंभीर स्थिति है।

इस गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिनांक 21 जुलाई, 2022 को शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर भारत सरकार, जनाधार प्राधिकरण आदि के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श उपरान्त वर्तमान में प्रचलित पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया, जो कि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 9(05)(12–II)सासुपे नियम/सान्याअवि/2021–22/4542 दिनांक 1.10.2021 द्वारा लागू की गई थी, की निरन्तरता में **राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RajSSP) पोर्टल को सुदृढ़ बनाने व साईबर अपराधों से रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित सुरक्षात्मक प्रावधान** किए जाते हैं:–

A. **दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 के पश्चात जनाधार डेटाबेस में परिवर्तन के आधार पर स्वीकृत पेंशन प्रकरणों की संवीक्षा (भौतिक व दस्तावेज आधारित सत्यापन)**
Scrutiny (Physical and Document Based Verification) of Pension cases in which Database has been amended after 2nd Oct. 2021

1 दिनाक 2 अक्टूबर, 2021 के पश्चात् जनआधार पोर्टल पर आयु, बैंक विवरण आदि में जो संशोधन किये गए है, ऐसे अनेक प्रकरणों में अनियमितताएं पाई गई हैं अतः इनको संदिग्ध मानते हुए ऐसे समस्त प्रकरणो को पोर्टल पर लाल रंग (Red Colour) में पृथक से प्रदर्शित किया जाएगा एवं उनकी पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन व आयु, बैंक खाता आदि का दस्तावेज आधारित सत्यापन (पोस्ट ऑडिट) करवाई जायेगी।

B. **दिनांक 01 अगस्त, 2022 से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RajSSP) नवीन आवेदनों के स्वीकृति की प्रक्रिया में संशोधन**

Ammendment in the approval process of RajSSP Portal w.e.f. 01 Aug. 2022

1. **Physical Verification and Document Verification of Applicants in which Database has been amended** – ऐसे समस्त आवेदक जिनके द्वारा 2 अक्टूबर, 2021 के पश्चात् जनआधार पोर्टल पर आयु, बैंक विवरण आदि में संशोधन करवाया गया है तो ऐसे प्रकरणों को पोर्टल पर पृथक से लाल रंग (Red Colour) में प्रदर्शित किया जाए। उनके लिए स्वतः स्वीकृति के स्थान पर 2 अक्टूबर से पूर्व में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार 30 दिवस में सत्यापन एवं 15 दिवस में स्वीकृति की प्रक्रिया लागू की जाए।
2. **Deemed Approval** – यदि ऐसे प्रकरणों में सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा 30 दिन में आवेदन पर कोई कार्रवाही नहीं की जाती है तो ऐसे आवेदन डीम्ड सत्यापित हो जाएगें एवं स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगें। स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा 15 दिवस में आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्र डीम्ड स्वीकृत हो जाएगें, ऐसे प्रकरणों में कोई अनियमितता होने के संबंध में संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी जिम्मेदार होगें। ऐसे समस्त डीम्ड स्वीकृत आवेदन पत्र पोस्ट ऑडिट में शामिल किए जाएगें।
3. **Auto Approval** – ऐसे समस्त आवेदक जिनके द्वारा 2 अक्टूबर, 2021 के पश्चात् जनआधार पोर्टल पर आयु, बैंक विवरण आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करवाया गया है उनके आवेदन पत्रों को स्वतः स्वीकृत किया जाएगा।
4. **Biometric Verification** – वर्तमान में एसएसओ आइडी के माध्यम से पेंशन के आवेदन करते समय आवेदक का बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होकर केवल ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होता है। अतः एसएसओ आइडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के स्थान पर आवेदक के बॉयोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से पेंशन स्वीकृत की जाए।
5- **SMS Intimation** – जनआधार डाटा में पेंशनर के बैंक विवरण, आयु, पते आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन प्राप्त होता है तो संबंधित पेंशनर को RajSSP पोर्टल द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जाए।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक: प.9(5)(12–II)सासुपे नियम/सान्यअवि/2021–22/65-120 जयपुर, दिनांक 29.04.2022.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, महालेखाकार (लेखा परीक्षा–प्रथम) राजस्थान, जयपुर।

4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं पदेन महानिदेशक, जनआधार प्राधिकरण, राजस्थान जयपुर
8. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
9. निजी सचिव, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर
10. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
12. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
13. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान
14. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
15. श्री आई.डी.वरयानी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., राजस्थान, जयपुर
16. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को वैब साइट पर अपलोड किए जाने हेतु
17. उप निदेशक/ सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समस्त जिला कार्यालय

शासन सचिव